FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/01/2021 11:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/01/2021 **Time (समय):** 11:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/01/2021 12:15 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 35 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): पलवल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Desh Raj

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/05/1964 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**faridabad, FARIDABAD CENTRAL, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**faridabad, FARIDABAD CENTRAL, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	SI रामबीर डागर न0 34 पलवल		Father's Name: सोहन लाल	1. नि0शेखपुरानजदीक किठवाडीचौकपलवल,CAMP PALWAL,PALWAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। श्रीमान जी, जांच क्रमांक 05 दिनांक 21.12.2016 पलवल महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 16897/1-2/SVB (H) Date Panchkula, 27.12.2016 के अनुसार के अनुसार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम में प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप यह था कि " श्री रामबीर डागर उप निरीक्षक न0 34/पलवल पुत्र श्री सोहन लाल सिपाही के पद पर कार्यरत हुआ था। जिसने अपनी नियुक्ति के दौरान नाजायज तरीके से धन कमाकर आय से अधिक सम्पति अर्जित की हुई है। जिसके पास एक गाडी स्वीफट डिजायर न0 HR-30-L5300 मंहगी कार है। जिसने शेखपुर नजदीक किठवाडी चैक पलवल मे काफी मंहगा मकान बना रखा है और

उसने अपनी पत्नी राजवती व अन्य के नाम एक प्लाट न0 1726 पी सैक्टर 2 पलवल मे 80 लाख से अधिक की रजिस्ट्री कराई है।" उक्त आरोप की पडताल मन निरीक्षक द्वारा पूर्ण की गई है। आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी रामबीर सिंह माह अक्तूबर 1991 में बतौर सिपाही हरियाणा पुलिस मे नियुक्त हुआ था। जिसके पास 25 कनाल 17 मरले वर्ष 1991 से ही प्रतिवादी के हिस्से मे पैतृक जमीन आती है। प्रतिवादी के पिता सोहन लाल व चाचा ग्यासी राम ने एक 5 मरले का एक प्लाट शेखपुरा जिला पलवल मे 17,325/- रू0 में स्टाम्प सहित खरीद किया था। जिस पर सोहन लाल व ग्यासी राम ने ही उक्त प्लाट व मकान का निर्माण करवाया था। प्रतिवादी रामबीर व उसके भाईयों व चाचा के लड़को के परिवारिक आपसी समझौते से प्रतिवादी के चाचा ग्यासी राम ने वर्ष 2000 मे सिविल कोर्ट की डिग्री से व प्रतिवादी के पिता श्री सोहन लाल से वर्ष 2006 में सिविल कोर्ट की डिग्री से प्रतिवादी रामबीर के नाम स्थानान्तरण हुआ था। जिसकी मरम्मत के लिए प्रतिवादी ने वर्ष 2010 मे 5 लाख रूपये का लोन Bank of India से लेकर मकान की मरम्मत पर 4 लाख 15 हजार रू0 खर्च किया था और प्रतिवादी ने दिसम्बर 2016 तक उक्त मकान की मरम्मत के लोन मे 3,64,190/- रू0 जमा किये है। प्रतिवादी ने मार्च 2006 में अपने GPF Fund से 2 लाख रू0 मकान निर्माण के लिए निकाले है व मार्च 2010 में 1 लाख रू0 मकान के विस्तार के लिए GPF से निकाले है। प्रतिवादी ने वर्ष 2013 में एक Swift कार जिसका नं0 HR-30-L5300 को 6,57,471/- रू0 मे खरीद की थी। जिसमें प्रतिवादी ने 1 लाख 94 हजार रू0 का लोन करवाया था और प्रतिवादी ने 4,63,471/- रू0 नकद देकर खर्च किये थे। जिसके लोन मे प्रतिवादी ने दिसम्बर 2016 तक 1,91,130/- रू0 जमा किये है। प्रतिवादी ने नियुक्ति से दिसम्बर 2016 तक कुल वेतन, टी0ए0 व एरियर के रूप मे 32,35,295/- रू0 प्राप्त किये थे। जिसकी 40 प्रतिशत बचत 12,94,118/- रू0 बनती है जिसको आय मे जोडा गया है। प्रतिवादी की पत्नि राजवती के पिता श्री खजान सिंह निवासी तेहापट्टी होडल ने वर्ष 2012 में 22 कनाल 18 मरले अपनी कृषि जमीन बेचने के मौखिक इकरारनामे पर 38 लाख रू0 प्राप्त राशी मे से 1/4 भाग प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति राजवती को जमीन खरीदने के लिए 9 लाख 50 हजार रू0 नकद देना बतलाया गया है। उक्त जमीन की रजिस्ट्री होने पर प्राप्त राशी 1,14,50,000/- रू0 का उसके हिस्से का 1/4 भाग की जमीन को खरीदने के लिए 28,50,000/- रू0 राजवती को नकद देना बतलाया गया है। प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति राजवती ने अपने पिता श्री खजान सिंह से कुल 9,50,000 28,50,000 रू0 जो कुल 38 लाख रू0 नकद प्राप्त किये जाने बतलाये गये है। प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति राजवती के सिन्डिकेट बैंक पलवल की बैंक स्टैमेन्ट के अनुसार यह खाता दिनांक 19.08.2012 मे खोला गया था व इस खाते मे वर्ष 2012 से लेकर 2015 तक समय-समय पर नकद पैसा जमा होना पाया गया है परन्तु वसीका नं0 6334 दिनांक 19.12.2014 के अवलोकन से यह पाया गया कि यह वसीका वर्ष 2014 में पंजीकृत होनी पाई गई है। जिसके माध्यम से खजान सिंह पुत्र श्री प्यारे ने 1,14,50,000/- रू0 मे 22 कनाल 18 मरले जमीन बेच दी थी व इस वसीका मे किसी भी मौखिक अथवा लिखित इकरारनामे का कोई भी विवरण नही है। इसलिए वर्ष 2012 मे किसी मौखिक इकरारनामे का कोई साक्ष्य प्राप्त नही हो सका है। उपरोक्त राशी गिफट द्वारा पाये जाने का ब्यौरा प्रतिवादी व उसकी पत्नि द्वारा अपनी आयकर रिटर्न मे नही दर्षाया गया है। जिस कारण से प्रतिवादी की पत्नि श्रीमति राजवती के खाता मे वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2014 तक जमा की गई राशी को उसके पिता द्वारा दिया जाने की आय का लाभ नही दिया जा सकता। जिसमे से श्रीमति राजवती ने दिनांक 30.12.13 को 4 लाख 14 हजार रू0 का एक प्लाट 100 वर्ग गज बाहद रकबा गांव मितरौल मे खरीद किया था व एक दूसरा प्लाट नं0 1726 सैक्टर 2 पलवल को सांझेदारी मे दिनांक 28.11.15 को खरीद किया था। जिस पर राजवती ने अपने खाता से राशी 31,87,120/- रू0 विक्रेता को व प्रतिवादी ने 2,00,000/- रू0 साझेदार को दिये थे परन्तु वसीका नं0 7409 दिनांक 18.11.15 के अवलोकन से यह पाया गया है कि यह वसीका प्रतिवादी की पत्नि राजवती व एक अन्य महिला श्रीमति ज्ञानवती पत्नि श्री गिर्राज के नाम पर पंजीकृत है। इसलिए इस भूमि की कीमत 80,37,120/- रू0 व स्टाम्प डयुटी 4,01,900/- रू0 जो कुल 84,38,020/- रू0 की बनती है, इस राशी का आधा हिस्सा 42,19,010/- रू0 प्रतिवादी के खर्चे मे शामिल की गई है। प्रतिवादी की कृषि भूमि के पट्टे से वर्ष 1991 से वर्ष 2016 तक कुल 10,61,600/- रू0 आय प्राप्त हुई है । प्रतिवादी ने गाडी खरीदने के लिए विभाग से कोई अनुमति नही ली है और ना ही गाडी खरीदने उपरान्त विभाग को सूचित किया है। प्रतिवादी के अपने स्वयं के खातो पत्नी व पुत्री के बचत खातों मे कुल 2,73,563/- रू0 कैस इन हैण्ड थे और प्रतिवादी ने अपनी पत्नि व अपने बच्चो की बीमा पाँलसियो मे कुल 2,66,678/- रू0 खर्च किये है। जो प्रतिवादी की सभी साधनो से कुल 33,74,648/- रू0 आय हुई है और प्रतिवादी व उसकी पत्नी द्वारा सभी साधानो पर कुल 66,07,042/- रू0 खर्च किया है जो प्रतिवादी की आय से 32,32,394/- रू0 अधिक है। अतः प्रतिवादी द्वारा अपने व अपनी पत्नी की चल व अचल सम्पत्ति नाजायज आय के स्त्रोतो से एकत्रित

करनी पाई गई है। इस बिनाह पर प्रतिवादी रामबीर सिंह पुत्र श्री सोहनलाल निवासी शेखपुरा नजदीक किठवाडी चैक पलवल तत्कालीन उप-निरीक्षक न0 34/पलवल CIA हथीन पलवल के विरूद्ध धारा 13(1) ई0 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था और इसके अलावा अभियोग की तफतीश के दौरान प्रतिवादी की पत्नी राजवती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने में अगर कोई संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग कार्यालय के पृश्ठांकन क्रमांक 71/02/2017-5 चौ0-1 दिनांक 17.12.2020 व महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 16120/आई0-2/रा0चै0ब्यू0 (ह0) दिनांक 23.12.2020 के अनुसार जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुमोदन अनुसार आरोपी जो रामबीर सिंह पुत्र श्री सोहनलाल निवासी शेखपुरा नजदीक किठवाडी चैक पलवल तत्कालीन उप-निरीक्षक न0 34/पलवल CIA हथीन पलवल के विरूद्ध धारा 13(1) ई0 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग अकिंत किया जावे व अभियोग की तफतीश के दौरान प्रतिवादी की पत्नी श्रीमती राजवती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने में अगर कोई संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 उधम सिंह न0 698/पलवल के अरसाल थाना है। अभियोग अंकित करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे। स्पैशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। अभियोग की आगामी तफतीश पुलिस अधीक्षक राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद के आदेशानुसार श्री कैलाश चन्द ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक रा0चै0ब्यू0 फरीदाबाद की सेवा में भिजवाई जावे। आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है। अज- थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद। SD. (देशराज) निरीक्षक, थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। दिनांक 12.01.2021. अज थाना:- इस समय एक लिखित तहरीर बदस्त सिपाही उधम सिह न0 698/पलवल के थाना पर प्राप्त हुई जो बर लिखित निरीक्षक देशराज थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद बर खिलाफ SI रामबीर सिह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी शेखपुरा नजदीक किठवाडी चौक पलवल प्राप्त होने पर मु0 न0 2 दिनांक 12.01.2021. धारा 13 (1) ई0 P.c एक्ट दर्ज रजि0 किया जाकर FIR कि प्रतिया कम्पूटर से तैयार कि गई । जो मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट कि श्रेणी मे आने पर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही उधम सिह न0 698/पलवल के अफसरान बालान व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब कि सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड बराये आगामी अनुशंधान हेतू श्री कैलाशचन्द HPS DSP SVB FBD के हवाले कि गई । नोट:- यह FIR इंस्पेक्टर रामनाथ की हाजरी मे दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Kailash chand **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): INSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NAAZNEEN BHASIN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): RWR

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.